



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 664 राँची, गुरुवार,

17 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-99/2017 का.-27025 (HRMS)--श्री सदानन्द महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-185/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहरवा, साहेबगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री महतो के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- मानव दिवस सृजन मनरेगा योजनाओं के उद्देश्य के पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत पर सृजित किया जाना है, परन्तु बरहरवा प्रखण्ड में प्रति पंचायत प्रतिदिन औसतन 100 मानव दिवस के विरुद्ध अभी मात्र 36 मानव दिवस का सृजन हुआ है ।

आरोप सं०-2- Status of Dobha- मनरेगा अंतर्गत जल संचयन हेतु बरहरवा प्रखण्ड में डोभा निर्माण का लक्ष्य 795 के विरुद्ध मात्र 359 पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है, जो निराशाजनक है ।

आरोप सं०-3- Status of Job Card Verification - बरहरवा प्रखण्ड में निर्गत 21487 Job Card के विरुद्ध मात्र 11760 Job Card का Verification किया गया है, जो मात्र 55% है ।

आरोप सं०-4- Scheme Pendency - विभाग द्वारा पत्रांक-(N) 2877 दिनांक- 24.11.2016 से लंबित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में Close करने का निदेश दिया गया था, परंतु बरहरवा प्रखण्ड में अभी भी वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व की 0, वित्तीय वर्ष 2015-16 की 172 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की 1228 योजनाएं अधूरी हैं ।

आरोप सं०-5- Delay Payment- मनरेगा अधिनियम अंतर्गत मस्टर रॉल के बंद होने के तिथि से 15 दिनों में मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है, परंतु बरहरवा प्रखण्ड में ससमय मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बरहरवा प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल मजदूरों पर भुगतेय राशि 476.65 लाख के विरुद्ध 161.05 लाख का Delay Payment किया गया है जो कुल भुगतेय राशि का कुल 34% है। यह मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

आरोप सं०-6- Geo- MGNREGA- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा Geo- MGNREGA के तहत सृजित परिसम्पतियों की Geo- Tagging करने का निदेश दिया गया था, परंतु बरहरवा प्रखण्ड में कुल सृजित परिसम्पतियों के विरुद्ध मात्र 6% परिसम्पतियों की ही Geo-Tagging की गयी है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10011, दिनांक 20.12.2017 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री महतो के पत्रांक-711/वि0, दिनांक 18.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री महतो के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्यतः अंकित तथ्य निम्नवत् है:-

(i) बरहरवा प्रखण्ड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर, 2017 तक 195591 मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 17 नवम्बर तक 175010 मानव दिवस सृजन कर लिया गया था, जो नवम्बर 2017 तक लक्ष्य के 89.48% है ।

(ii) मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण हेतु निर्धारित 795 लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1104 डोभा निर्माण योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति उनके द्वारा दी गयी थी एवं इसके निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु लगातार रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को निदेशित किया जा रहा था। रोजगार सेवकों द्वारा अपेक्षित रुचि नहीं लेने के कारण उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक-1060, दिनांक 25.05.2017 से उप विकास आयुक्त को प्रतिवेदित भी किया गया था एवं उक्त आलोक में 07 ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा भी समाप्त कर दी गयी थी ।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त यह भी प्रतिवेदित है कि बरहरवा प्रखण्ड के 29 ग्राम पंचायतों में 05 ग्राम पंचायतों को विभागीय अधिसूचना सं०-4817 दिनांक 29.08.2016 द्वारा नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। फलस्वरूप भी लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हुई है। प्रखण्ड में कृषक एवं स्थानीय लोग द्वारा डोभा निर्माण में रुचि नहीं लेने एवं अपने जमीन में डोभा निर्माण नहीं कराने के कारण कम योजनाओं में कार्य प्रारंभ हुआ है।

(iii) दिनांक 20.12.2017 के ऑनलाईन जॉब कार्ड सत्यापन अनुसार कुल मनरेगा श्रमिक 22485 के विरुद्ध 22484 श्रमिकों का जॉब कार्ड सत्यापन किया जा चुका है। अतः आरोप निराधार है।

(iv) इस आरोप के संबंध में प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व की एक भी योजना विभागीय निदेशानुसार लंबित नहीं है अर्थात् सभी योजना पूर्ण कर ली गयी है।

(v) दिसम्बर, 2015 में पंचायत आम निर्वाचन होने के पश्चात् नव निर्वाचित मुखिया का डिजिटल सिग्नेचर उपयोग करने हेतु लगातार प्रखण्ड स्तर से प्रशिक्षण दिया गया है। नव निर्वाचित मुखिया होने के कारण पंचायत स्तर पर समन्वय के कारण प्रारंभिक दौर में कार्य कराने के दौरान विलंब होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में Delay Payment 34% है, जो निरंतर प्रयास के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1.7 प्रतिशत हो गया।

मनरेगा अधिनियम की धारा-8.8 के आलोक में मो० 45280/- रुपये मजदूरी भुगतान में विलंब करने वाले कर्मियों के वेतन से कटौती कर संबंधित मजदूरों को विलंब से मजदूरी भुगतान का मुआवाजा दिया गया है। अतः उक्त आरोप निराधार है।

(vi) बरहरवा प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत कुल 4378 पूर्ण योजनाओं के विरुद्ध 18 दिसम्बर, 2017 तक 3041 योजनाओं का Geo- Tagging कर लिया गया है, जो 69.46%।

Geo-Tagging हेतु ग्राम रोजगार सेवकों को उपलब्ध कराये गये टैबलेट में तकनीकी खराबी होने के कारण ससमय Geo-Tagging में कठिनाई हुई है। इस संबंध में विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा उप विकास आयुक्त को संसूचित भी की गई है। अतः यह आरोप भी निराधार है।

3. श्री महतो के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3009, दिनांक 08.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2346, दिनांक-07.08.2018 (पृ० 67/प०) द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रपत्र-‘क’ का गठन करने के समय मनरेगा योजना में उपलब्धि न्यून थी, परन्तु बाद में उनके द्वारा बेहतर प्रयास कर संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त की गयी। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

4. श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री महतो के विरुद्ध मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पूर्ण करने तथा जॉब कार्ड के सत्यापन में लापरवाही बरतने के साथ-साथ मो० 161.05 लाख रुपये Delay Payment करने का आरोप प्रतिवेदित है। उक्त आरोप पर श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में नवम्बर/दिसम्बर 2017 का MIS प्रतिवेदन से संबंधित Data का संदर्भ लिया गया है जबकि आरोप पत्र दिनांक 19.04.2017 के MIS के प्रतिवेदन के आधार पर गठित है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र के गठन के पश्चात् बाद की अवधि में मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की

गई है। परन्तु आरोप से संबंधित प्रतिवेदित Data को अप्रमाणित करने से संबंधित न तो कोई साक्ष्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया है न ही उक्त प्रतिवेदित आकड़ों से इनकार किया गया है।

5. उपरोक्त समीक्षा बिन्दु के आलोक में श्री महतो के विरुद्ध प्रस्तावित झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक- 4177, दिनांक- 21.07.2023 के द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, परन्तु श्री महतो के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

इस संबंध में द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु श्री महतो को विभागीय पत्रांक- 546, दिनांक- 29.01.2024, पत्रांक- 3465 दिनांक-17.05.2024 एवं पत्रांक-4561, दिनांक- 11.07.2024 द्वारा स्मारित भी किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर देने के बावजूद श्री महतो के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया है।

6. अतः समीक्षोपरांत, श्री सदानन्द महतो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-185/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहरवा, साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सदानन्द महतो, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SADANAND MAHTO 110051163121	श्री सदानन्द महतो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-185/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहरवा, साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
